

# Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

# LX I KAOKDINAK Y

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 181-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 7, 2022 (ASVINA 15, 1944 SAKA)

## हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

### अधिसूचना

दिनांक 07 अक्तूबर, 2022

**संख्या 60/जी॰एस॰टी॰–२.–** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

- 1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
  - (2) ये नियम प्रथम जुलाई, 2017 से लागू हुए समझे जाएंगे।

 हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 में, नियम 88क के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा तथा प्रथम जुलाई, 2017 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

"88ख. कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज संगणित करने की रीति.- (1) ऐसे मामले में, जहां एक कर अवधि के दौरान किए गए प्रदाय, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त अवधि के लिए विवरणी में घोषित किए जाते हैं, और उक्त विवरणी धारा 39 के उपबंधों के अनुसार देय तिथि के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किसी कार्यवाही के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है वहां ऐसे प्रदायों के संबंध में भुगतान योग्य कर पर ब्याज की संगणना, ऐसी दर पर जो धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित हो, उक्त विवरणी फाइल करने में देय तिथि के पश्चात् विलंब की अवधि के लिए, कर के ऐसे भाग पर की जाएगी जिसका भुगतान इलैक्ट्रानिक नकद खाते से विकलित करके किया जाता है।

(2) अन्य सभी मामलों में, जहां धारा 50 की उपधारा (1) के अनुसार ब्याज भुगतान योग्य है, वहां ब्याज की संगणना, ऐसी दर पर जो धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित हो, उस तिथि से आरंभ होने वाली अवधि के लिए जिसको ऐसा कर भुगतान किया जाना देय था, ऐसे कर का भुगतान किए जाने की तिथि तक, कर की उस राशि पर, जो असंदत्त रहती है, की जाएगी।

(3) ऐसे मामले में, जहां गलती से लिए गए और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की राशि पर ब्याज, धारा 50 की उपधारा (3) के अनुसार भुगतान योग्य है, वहां ब्याज की संगणना, ऐसे गलती से लिए गए और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की राशि पर, इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग की तिथि से आरंभ होकर ऐसे प्रत्यय के उत्क्रमण या कर के भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए, ऐसी राशि के सम्बन्ध में, ऐसी दर पर जो धारा 50 की उक्त उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित की जाएगी।

व्याख्या. — इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, —

#### HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 7, 2022 (ASVN. 15, 1944 SAKA)

- (1) गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका उपयोग उस समय कर लिया गया है जब इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में शेष गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की राशि से कम आता है और इनपुट कर प्रत्यय के ऐसे उपयोग का परिमाण, वह राशि होगी जितना इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में शेष, गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की राशि से कम आता है।
- (2) ऐसे इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग की तिथि:--
  - (क) वह तिथि मानी जाएगी, जिसको धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के लिए देय है या उक्त विवरणी के फाइल किए जाने की वास्तविक तिथि, जो भी पहले हो, यदि इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में शेष उक्त विवरणी के माध्यम से कर के भुगतान के कारण, गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की राशि से कम होता है; या
  - (ख) अन्य सभी मामलों में, इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में विकलन की वह तिथि मानी जाएगी, जब इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में शेष गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की राशि से कम होता है।"।

अनुराग रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

#### HARYANA GOVERNMENT

#### EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

#### Notification

#### The 07th October, 2022

**No. 60/GST-2**— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st July, 2017.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, after rule 88A, the following rule shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st July, 2017, namely:-

**"88B. Manner of calculating interest on delayed payment of tax.**-(1) In case, where the supplies made during a tax period are declared by the registered person in the return for the said period and the said return is furnished after the due date in accordance with provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, the interest on tax payable in respect of such supplies shall be calculated on the portion of tax which is paid by debiting the electronic cash ledger, for the period of delay in filing the said return beyond the due date, at such rate as may be notified under sub-section (1) of section 50.

(2) In all other cases, where interest is payable in accordance with sub section (1) of section 50, the interest shall be calculated on the amount of tax which remains unpaid, for the period starting from the date on which such tax was due to be paid till the date such tax is paid, at such rate as may be notified under sub-section (1) of section 50.

(3) In case, where interest is payable on the amount of input tax credit wrongly availed and utilised in accordance with sub-section (3) of section 50, the interest shall be calculated on the amount of input tax credit wrongly availed and utilised, for the period starting from the date of utilisation of such wrongly availed input tax credit till the date of reversal of such credit or payment of tax in respect of such amount, at such rate as may be notified under said sub-section (3) of section 50.

Explanation. —For the purposes of this sub-rule, —

(1) input tax credit wrongly availed shall be construed to have been utilised, when the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed, and the extent of such utilisation of input tax credit shall be the amount by which the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed.

3938

- (2) the date of utilisation of such input tax credit shall be taken to be,
  - (a) the date, on which the return is due to be furnished under section 39 or the actual date of filing of the said return, whichever is earlier, if the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed, on account of payment of tax through the said return; or
  - (b) the date of debit in the electronic credit ledger when the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed, in all other cases.

ANURAG RASTOGI, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.

9918-C.S.-H.G.P., Pkl.